भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

वित्तीय सेवाएं विभाग

लोक सभा

तारांकित प्रश्न संख्या *325

जिसका उत्तर सोमवार, 16 मार्च, 2026/25 फाल्गुन, 1947 (शक) को दिया गया

ऋण वसूली अधिकरणों का सुदृढ़ीकरण, आस्ति मूल्यांकन और वसूली ढांचा

*325.श्री परषोत्तमभाई रुपाला:

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार द्वारा बैंकों और वित्तीय संस्थाओं द्वारा बंधक रखी गई आस्तियों का कड़ाई से और समान मूल्यांकन, जिसमें ऋण स्वीकृति से पूर्व स्वतंत्र मूल्यांकन, स्वामित्व संबंधी सम्यक कार्य और विपणन योग्यता का सत्यापन भी शामिल हो, सुनिश्चित करने के लिए ठोस उपाय किये हैं/किये जाने का विचार है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार वैध कानूनी अधिकारों की रक्षा करते हुए ऋण लेने वालों द्वारा दायर की जाने वाली तुच्छ और विलंबकारी मुकदमेबाजी, जिनमें प्रतिभूति वाली आस्तियों की वसूली में विलंब होता है, की स्थिति की रोकने के लिए एक उपयुक्त विधायी ढांचा तैयार करने पर विचार कर रही है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा नीलामी प्रक्रियाओं में पारदर्शिता और दक्षता बढ़ाने तथा देश भर में ऋण वसूली अधिकरणों के प्रशासनिक कार्यकरण, जनशक्ति, डिजिटल अवसंरचना और उनके द्वारा मामलों के समयबद्ध निपटान को सुदृढ़ करने के लिए क्या उपाय किए गए हैं/किए जाने का विचार है?

उत्तर

वित्त मंत्री (श्रीमति निर्मला सीतारामन)

(क) से (ग) विवरण सदन के पटल पर रख दिया

“ऋण वसूली अधिकरणों का सुदृढ़ीकरण, आस्ति मूल्यांकन और वसूली ढांचा” के बारे में माननीय सांसद श्री परषोत्तमभाई रुपाला द्वारा पूछे गए दिनांक 16 मार्च 2026 के लोक सभा तारांकित प्रश्न सं. *325 के भाग (क) से (ग) के उत्तर में उल्लिखित विवरण

(क) भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) से प्राप्त सूचना के अनुसार, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा बैंकों और वित्तीय संस्थाओं को मास्टर निदेश जारी किए गए हैं, जिसमें *अन्य बातों के साथ-साथ* भारतीय रिजर्व बैंक की इन विनियमित संस्थाओं को उनके एक्सपोजर के लिए स्वीकार किए गए संपार्श्विक सहित आस्तियों के मूल्यांकन के लिए बोर्ड द्वारा अनुमोदित नीति बनाने का निदेश दिया गया है और मूल्यांकन व्यवसायिक अहर्ता प्राप्त स्वतंत्र मूल्यांकनकर्ताओं द्वारा किया जाना चाहिए। बैंकों और आवास वित्त कंपनियों (एचएफसी) को भी इस तरह के मूल्यांकन करने के लिए व्यवसायिक अहर्ता प्राप्त स्वतंत्र मूल्यांकनकर्ताओं को सूचीबद्ध करना होता है। इसके अलावा, वे निश्चित सीमा से अधिक मूल्य वाली आस्तियों अर्थात् बैंकों के मामले में 50 करोड़ रुपये और एचएफसी के मामले में 75 लाख रुपये के संबंध में कम से कम दो स्वतंत्र मूल्यांकन रिपोर्टें प्राप्त करेंगे। ।

एचएफसी को यह अधिदेश दिया गया है कि जहां कहीं भी ऋण, विशेष रूप से बड़े मूल्य के ऋणों के लिए प्रतिभूति के रूप में स्वत्वाधिकार के दस्तावेज प्रस्तुत किए जाते हैं, वहां उनकी वास्तविकता के सत्यापन की एक प्रणाली होनी चाहिए। जहां कहीं भी उधारकर्ता द्वारा चार्टर्ड एकाउंटेंट प्रमाण पत्र, संपत्ति मूल्यांकन प्रमाण पत्र, कानूनी प्रमाण पत्र, गारंटी/क्रेडिट लाइन या कोई अन्य तृतीय-पक्ष प्रमाणन प्रस्तुत किया जाता है, एचएफसी प्रमाण पत्र जारी करने वाले संबंधित प्राधिकारी के साथ सीधे संवाद करके ऐसे प्रमाणन की प्रामाणिकता को स्वतंत्र रूप से सत्यापित करेगा।

(ख) वसूली प्रक्रिया में बाधा डालने के लिए उधारकर्ताओं द्वारा अनावश्यक मुकदमेबाजी से बचने के लिए ऋण वसूली और शोधन अक्षमता अधिनियम, 1993 और वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के अंतर्गत पर्याप्त प्रावधान किए गए हैं। ऋण वसूली अपीलीय अधिकरण (डीआरएटी) के समक्ष अपील को दर्ज करते समय, उधारकर्ता को डीआरएटी के साथ पूर्व जमाराशि जमा करना आवश्यक है, शुरू में डीआरएटी को लिखित रूप में दर्ज किए जाने वाले कारणों के लिए पूर्व जमा राशि को माफ करने/कम करने का अधिकार था। हालांकि, वर्ष 2016 में ऋण वसूली और शोधन अक्षमता अधिनियम, 1993 में एक संशोधन किया गया था, जिसमें राशि की सीमा जिसे डीआरएटी द्वारा कम किया जा सकता है, को "जो पच्चीस प्रतिशत से कम नहीं होगा" के रूप में निर्धारित किया गया है और पूर्ण छूट को समाप्त कर दिया गया है। इसी प्रकार, डीआरटी के वसूली अधिकारी के आदेश के विरुद्ध कोई भी अपील डीआरटी के समक्ष केवल अधिकरण द्वारा निर्धारित ऋण की देय राशि का पचास प्रतिशत जमा करने पर ही विचारणीय है। पूर्व जमा राशि के इन प्रावधानों के अलावा, डीआरटी के समक्ष वसूली प्रक्रिया में विलंब करने के लिए रणनीति अपनाने वाले पक्षों पर लागत लगाने की शक्ति है। आरडीबी अधिनियम के प्रावधानों के तहत अधिकरण द्वारा किए गए आदेश की अवज्ञा के मामले में, अधिकरणों को संपत्तियों को कुर्क करने के साथ-साथ ऐसे व्यक्ति को सिविल जेल में तीन महीने से अधिक की अवधि के लिए हिरासत में रखने का आदेश देने का अधिकार है।

(ग) नीलामी प्रक्रिया में पारदर्शिता और दक्षता सुनिश्चित करने के लिए देश भर के ऋण वसूली अधिकरणों को यह सुनिश्चित करने का निदेश दिया गया है कि ऋण वसूली कर (डीआरटी) द्वारा सभी नीलामियां केवल ई-नीलामी के माध्यम से आयोजित की जाएं। इसके अलावा, आस्तियों की लिस्टिंग और निर्बाध नीलामी सुनिश्चित करने के लिए, ई-बिकरे प्लेटफॉर्म नामक एक पोर्टल को फरवरी, 2019 में चालू किया गया था। इसके बाद, सरफेसी अधिनियम और आरडीबी अधिनियम के अंतर्गत आस्तियों की लिस्टिंग तथा नीलामी के लिए अत्याधुनिक एकीकृत मंच प्रदान करने हेतु पोर्टल को व्यापक रूप से नया रूप दिया गया है। "बैंकनेट" नामक यह संशोधित पोर्टल जनवरी, 2025 में शुभारंभ किया गया है।

सरकार ने अधिकरणों की दक्षता में सुधार लाने और लंबित मामलों के त्वरित निपटान के लिए कई कदम उठाए हैं, जिनका सारांश निम्नानुसार है:

- अधिसूचना जीएसआर.79 (ई) के माध्यम से शामिल राशि के बावजूद 1.2.2023 से डीआरटी और डीआरएटी में सभी प्रकार के आवेदनों की अनिवार्य ई-फाइलिंग;
- डीआरटी और डीआरएटी में हाइब्रिड हियरिंग सिस्टम को सक्षम किया गया है;
- डीआरटी और डीआरएटी में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सुविधाएं सक्षम की गई हैं;
- ई-डीआरटी हेल्प डेस्क की स्थापना सभी डीआरटी और डीआरएटी में की गई है ताकि वादियों को अपने मामलों को ऑनलाइन दायर करने में आसानी हो सके;
- अधिवक्ताओं/वादियों और अन्य संबंधित व्यक्तियों को ई-फाइलिंग प्रणाली पर व्यापक प्रशिक्षण प्रदान किया गया;
- मामलों की ई-फाइलिंग में वादियों की सहायता के लिए सभी डीआरटी और डीआरएटी में ई-सेवा केंद्र स्थापित किए गए हैं;
- ई-सेवा केंद्र के कार्य के लिए मानक संचालन प्रक्रिया जारी की गई;
- वादियों की कठिनाइयों के निवारण के लिए उनकी सहायता के लिए एक डिजिटल सहायक उपलब्ध कराया गया है। यह उपयोगकर्ताओं के सामने आने वाली चुनौतियों का समाधान करने में मदद करता है, विशेष रूप से ई-फाइलिंग प्रक्रिया के संबंध में और ई-फाइलिंग अनुभव को सुव्यवस्थित करता है, भ्रम को कम करता है और मंच पर उपयोगकर्ता संतुष्टि को बढ़ाता है।
- प्रीमियर ट्रेनिंग अकादमी यानी राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी भोपाल में पीठासीन अधिकारियों के प्रशिक्षण का आयोजन किया जा रहा है।
- मामलों के कुशल निपटान के लिए उनकी क्षमता का निर्माण करने के लिए राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय दिल्ली में ऋण वसूली अधिकरणों के अधिकारियों, जो पीओ और अध्यक्ष की सहायता करते हैं, का नियमित प्रशिक्षण आयोजित किया जा रहा है।
